न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/654

मिसल नम्बर– 98/2025

मोहनी बाई आयु 68 वर्ष पत्नि स्व0 रघुवीर कश्यप मकान नं0 299 पठान बाबा के सामने भोई मोहल्ला छावनी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.बाल किशन आयु 45 वर्ष
2.बाबूलाल आयु 43 वर्ष
3.दौलत आयु 40 वर्ष
4.रामबाबू आयु 38 वर्ष पिसरान स्व0 रघुवीर कश्यप निवासीगण मकान नं0 299 पठान बाबा के सामने भोई मोहल्ला छावनी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/02/2026

उपस्थिति:–

1.श्री प्रेम कुमार सिंह प्रार्थी अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया 68 वर्ष की वृद्ध महिला है, तथा विधवा है, जो अपने स्वयं के मकान नं० 299 भोई मोहल्ला कोटा में निवास कर रही है। उक्त मकान प्रार्थिया को नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा आवंटित किया गया था, और मकान की रजिस्ट्री भी प्रार्थिया के नाम नगर निगम दक्षिण कोटा द्वारा दिनांक 04.03.2023 को उपपंजीयक कोटा के यहां कराई जा चुकी है। इस प्रकार प्रार्थिया उक्त मकान की उक मात्र मालिक एवं काबिज है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थिया के पुत्र हैं, जो विवाहित हैं।, तथा अपने परिवार के साथ प्रार्थिया के साथ ही इसी मकान मे निवास करते हैं। इस मकान मे 6 कमरे हैं, जिनमे प्रतिपक्षीगण अपने परिवार सहित निवास करते है, तथा प्रार्थिया को सभी ने उसके आधिपत्य के कमरे व रसोई से बेदखल कर दिया है, और अब प्रार्थिया को मकान के चोक में रहकर ही अपना जीवन यापन करना पड रहा है। प्रार्थिया कोई काम धन्धा नही कर सकती हे, वह वृद्धा है, प्रार्थिया का खान पान व बीमारी में इलाज पर दवाइयों आदि पर काफी रकम खर्चा करना पडता है, उसकी आय का कोई साधन नहीं है। वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही है। जीवन निर्वाह हेतु प्रतिपक्षीगण से मांग करने पर जो उनके पुत्र है, वे लड़ाई झगडा करते हैं, तथा चारो मे कोई भी आर्थिक मदद नही कर रहे है, उसे भुखो मरने की नौबत आ गई है। प्रार्थिया अपने मकान से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिपक्षीगण को निकाल कर मकान को किराये पर देकर उसकी आये से गुजर बसर करना चाहती है। प्रतिपक्षीगण सम्पन्न व्यक्ति हैं, प्रतिपक्षी बालकिशन भामाशाह मण्डी में कार्य करता है, जहां से उसे 30–40 हजार रूपया मासिक आय होती है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी क्रम 2 बाबूलाल बेलदारी का कार्य करता है, तथा 15–20 हजार मासिक आय अजित करता है, प्रतिपक्षी दौलत आरसीसी का कारीगर है, उस कार्य से 15–20 हजार रूपया मासिक कमाता है, प्रतिपक्षी राम बाबू पेन्टर का काम करता है, और 25–30 हनार रूपया मासिक आय अर्जित करता है। प्रार्थिया के साथ दीपावली के समय धनतेरस व दीपावली पर प्रतिपक्षीगण ने अपनी पत्नियो के साथ मारपीट की गाली गलोच भी की, जिससे उसको चोटे आई हैं, उसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कोटा को दिनांक 30 अक्टुबर, 25 को की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई है। जिससे प्रतिपक्षीगण के हौसले बढ़ गये हैं । प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वह इस अधिनियम के तहत प्रतिपक्षीगण से संयुक्त तथा पृथक पृथक रूप से 10,000.00 रूपया मासिक अपने जीवन यापन हेतु एवं बीमारी के इलाज आदि हेतु प्राप्त करने तथा अपने उक्त मकान से प्रतिपक्षीगण को बेदखल करने की अधिकारिणी है, जिसके लिए माननीय न्यायालय की सहायता आवश्यक है। प्रार्थिया के पास माननीय अधिकरण मे आवेदन कर निर्वाह भत्ता प्राप्ति अन्य विकल्प नही रह गया है, अतः यह आवेदन पेश किया जा रहा है, जो सदभाविक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय ह कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को आदेश प्रदान किया जावे कि प्रतिपक्षीगण संयुक्त या पृथक पृथक रूप से 10000 रूप्या निर्वाह भत्ता खाना खुराक इलाज हेतु प्रार्थीया को अदा करे। प्रतिपक्षीगण को मकान नं0 299 भोई मोहल्ला छावनी कोटा से बेदखल किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण नं0 1, 2, 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी नं0 4 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थी नं0 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किये जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से अपने कथनों के समर्थन मे प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान के पटटे की प्रति पेश की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा आय का कोई साधन नही होने के कारण अप्रार्थीगण से भरण पोषण हेतु पृथक पृथक रूप से प्रतिमाह 10,000/– मासिक दिलाये जाने एवं अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीया की ओर से बेदखली बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थीया के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीया की कथनों का किसी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थीया के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। जिस कारण हम प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थीया मोहनी बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 1,000/–1,000/– रूपये प्रत्येक अर्थात 4,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा